हफ़्तावार रिसाला : 202
Weekly Booklet : 202

Qurbani Kyun Karte Hain ? (Hindi)

क़ुरबानी क्यूं करते हैं ?

सफ़हात 20

- "क़ुरबानी" हुक्मे ख़ुदावन्दी पर अमल का ज़रीआ़ है 01
- क़ुरबानी किस पर वाजिब है ? 02
- इज्तिमाई (हिस्सों वाली) क़ुरबानी की एहतियातें 10
- क़ुरबानी वाजिब हो मगर रक़म न हो तो क्या करे ? 16

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी रज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (مُسْتَطْرَف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला "**कुरबानी क्यूं करते हैं ?**" मजलिसे **अल मदीनतुल इ़ल्मिय्या** (दा'वते इस्लामी) ने **उर्दू** ज़बान में मुरत्तब किया है। ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और **मक्तबतुल मदीना** से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या ग़लती पाएं तो ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, Email या SMS) मुत्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी)
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 98987 32611 • Email : hind.printing92@gmail.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

येह रिसाला अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه से किये गए सुवालात और उन के जवाबात पर मुश्तमिल है।

कुरबानी क्यूं करते हैं ?

दुआए अ़त्तार : **या अल्लाह** पाक ! जो कोई 19 सफ़्हात का रिसाला : **"कुरबानी क्यूं करते हैं ?"** पढ़ या सुन ले उसे हर साल खुशदिली से कुरबानी करने की सआ़दत अ़ता फ़रमा और उस की कुरबानी को उस के लिये पुल सिरात़ की सुवारी बना। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का फ़रमान है : "ऐ लोगो ! बेशक बरोज़े क़ियामत उस की दह्शतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख़्स वोह होगा जिस ने तुम में से मुझ पर दुन्या के अन्दर ब कसरत दुरूद शरीफ़ पढ़े होंगे।" (مسند الفردوس، 2/471، حدیث:8210)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

कुरबानी हुक्मे खुदावन्दी पर अ़मल करने के लिये की जाती है

सुवाल : हम कुरबानी क्यूं करते हैं ?

जवाब : कुरबानी का हुक्म **अल्लाह** पाक और उस के प्यारे रसूल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने दिया है और येह चन्द शराइत़ के साथ मुसल्मान पर वाजिब होती है इस लिये हम कुरबानी करते हैं और اِنْ شَآءَاللّٰه करते रहेंगे। **अल्लाह** पाक ने कुरबानी का हुक्म देते हुए कुरआने करीम में इर्शाद फ़रमाया : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝﴾ (پ30، الکوثر:2) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :**

"तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और कुरबानी करो।" तो इस हुक्मे खुदावन्दी पर अमल करने के लिये हम कुरबानी करते हैं। (इस मौक़अ पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ़्ती साहिब ने फ़रमाया :) इस आयते मुबारका में भी कुरबानी का ज़िक्र है :

﴿قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَۙ(۱۶۲)﴾ (پ8، الانعام:162)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : "तुम फ़रमाओ बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब **अल्लाह** के लिये है जो रब सारे जहान का।" इसी तरह जब नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की बारगाह में सहाबए किराम رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم ने अर्ज़ की, कि येह कुरबानियां क्या हैं ? तो आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : سُنَّةُ اَبِیْكُمْ اِبْرَاهِیْم (या'नी कुरबानी करना) तुम्हारे बाप इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام का तरीक़ाए कार है। (ابن ماجہ 3/531، حدیث:3127)

एक और हदीसे पाक में है : जो कुरबानी की वुस्अत रखता हो और कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के क़रीब न आए। (ابن ماجہ، 3/529، حدیث:3123)

कुरबानी किस पर वाजिब है ?

सुवाल : कुरबानी करना किस पर वाजिब है ?

जवाब : 10 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** की सुब्हे सादिक़ से ले कर 12 **ज़ुल हिज्जतिल हराम** के गुरूबे आफ़्ताब के दरमियान अगर कोई मुसल्मान आक़िल, बालिग़, मुक़ीम और साहिबे निसाब हो और वोह निसाब उस के क़र्ज़ और ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी में मुस्तग़रक़ (या'नी डूबा हुवा) न हो तो इस सूरत में कुरबानी वाजिब होगी।

क्या मुसाफ़िर पर कुरबानी वाजिब है ?

सुवाल : क्या मुसाफ़िर पर कुरबानी वाजिब है ?

जवाब : जो शर्अन मुसाफ़िर है उस पर कुरबानी वाजिब नहीं।

कुरबानी के जानवर की उ़म्र का ए'तिबार है या दांत निकालने का ?

सुवाल : क्या ऐसे जानवर की कुरबानी जाइज़ है जो अपनी कुरबानी की उ़म्र पूरी कर चुका हो मगर उस ने दांत न निकाले हों ? बक़रह ईद के मौक़अ़ पर ब्योपारी गाहकों से कहते हैं कि हमारे इस जानवर ने अगर्चे दांत नहीं निकाले मगर येह अपनी कुरबानी की उ़म्र पूरी कर चुका है तो गाहक वोह जानवर ख़रीदने के लिये तय्यार नहीं होते और कहते हैं कि दांत निकालना ज़रूरी है, अगर वोही जानवर ब्योपारी आधी क़ीमत पर देने के लिये तय्यार हो जाए तो गाहक उसे ख़रीद लेते हैं, उन का ऐसा करना कैसा ?

जवाब : जो जानवर कुरबानी की उ़म्र पूरी कर चुके हों उन की कुरबानी जाइज़ है अगर्चे उन्हों ने दांत न निकाले हों। कुरबानी के जाइज़ होने के लिये ऊंट की उ़म्र कम अज़ कम पांच साल, भैंस की दो साल और बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी और भेड़ की एक साल होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बा या भेड़ का छे महीने का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मा'लूम होता हो तो उस की कुरबानी भी जाइज़ है। याद रखिये ! कुरबानी जाइज़ होने के लिये जानवरों की उ़म्र पूरी होना ज़रूरी है न कि दांत निकालना क्यूं कि जो जानवर आज़ाद घूम फिर कर चरते और नोच नोच कर घास खाते हैं वोह मुसल्सल दांतों से घास खींचते रहने के सबब अपनी कुरबानी की उ़म्र पूरी होने से पहले ही दांत निकाल देते हैं और जो जानवर बंधे हुए होते हैं वोह बसा अवक़ात उ़म्र पूरी होने के बा वुजूद दांत नहीं निकाल पाते। जानवरों की उ़म्र के मुआ़मले में लोग ब्योपारियों पर इस लिये ए'तिमाद नहीं करते कि कसरत से झूट और धोका देही के बाइ़स उन का

ब्योपारियों से ए'तिमाद उठ चुका होता है। बा'ज़ ब्योपारी जानवरों की कटी हुई दुम टेप लगा कर जोड़ देते हैं और जिस रंग के जानवर के बाल होते हैं टेप पर उसी त़रह़ का रंग लगा देते हैं जिस के बाइ़स ख़रीदार को येह मा'लूम नहीं हो पाता कि जानवर की दुम कटी हुई है और फिर जब वोह बेचारा उसे घर ले जा कर दुम से पकड़ता है तो दुम निकल कर उस के हाथ में आ जाती है। इसी त़रह़ बा'ज़ ब्योपारी जानवरों के दांत दिखाते हुए भी धोका देही से काम लेते हैं। अगर्चे सब ब्योपारी धोकेबाज़ नहीं होते मगर लोग ईमानदार ब्योपारियों पर भी इस लिये ए'तिमाद नहीं करते कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। अगर ब्योपारी बा शर्अ़ और नेक आदमी है और वोह कहता है कि जानवर की उ़म्र पूरी है, गाहक को उस पर ए'तिमाद है कि वोह जानवर की उ़म्र बताने में झूट नहीं बोल रहा तो इस सूरत में अगर गाहक ने उस से जानवर ख़रीद कर क़ुरबानी कर ली तो उस की क़ुरबानी हो जाएगी अगर्चे दांत न निकले हों। बेहतर येह है कि क़ुरबानी का जानवर चाहे वोह भैंस हो या बकरा चार दांत का होना चाहिये, बकरा अगर चार दांत का हो तो उस का गोश्त उ़म्दा होता है मगर हमारे यहां दो दांत की रस्म चल पड़ी है। जानवर ख़रीदने वाले भी दो दांत का मुत़ालबा करते हैं और ब्योपारी भी दो दांत की सदाएं लगाते हैं। बसा अवक़ात जानवर आठ दांत (या'नी बड़ी उ़म्र) का होता है मगर ब्योपारी ख़रीदार को सिर्फ़ दो दांत नुमायां त़ौर पर दिखाते हैं और बक़िय्या दांत अपनी उंग्लियों से छुपा लेते हैं और फिर फ़ौरन जानवर का मुंह बन्द कर देते हैं। रही बात येह कि जिस जानवर के कम उ़म्री की वज्ह से दांत नहीं निकले होते लोग उसे आधी क़ीमत में ख़रीद लेते हैं तो येह आधी क़ीमत पर ख़रीदने वाले

शायद गोश्त फ़रोश होते होंगे जो ऐसे जानवरों को क़ुरबानी के लिये नहीं बल्कि ज़ब्ह कर के उन का गोश्त बेचने के लिये ख़रीद लेते होंगे।

जानवर दो दांत का है या ज़ियादा का, येह पहचान कैसे हो ?

सुवाल : जानवर दो दांत का है या ज़ियादा का, इस की पहचान कैसे की जा सकती है ?

जवाब : जानवर दो दांत का है या ज़ियादा का, इस की पहचान येह है कि जो दांत अच्छी त़रह़ नहीं निकले होते वोह सारे छोटे से एक लाइन में सफ़ेदी की त़रह़ नज़र आते हैं और जो दांत निकल चुके होते हैं वोह उस सफ़ेदी से थोड़ा हट कर उभरी हुई जगह से निकलते हैं और चौड़े होते हैं और उन पर कुछ पीलाहट सी होती है। अगर जानवर आठ दांत का बिल्कुल ज़ईफ़ है तो उस के आठों दांत एक ही लाइन में नज़र आएंगे और उन पर पीलाहट भी दिखाई देगी। बहर ह़ाल जानवर के दांतों की पहचान हर एक नहीं कर सकता लिहाज़ा जानवर ख़रीदते वक़्त तजरिबा कार आदमी का साथ होना बहुत मुफ़ीद है।

बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसा कर लाना कैसा ?

सुवाल : क़ुरबानी के जानवरों को मन्डी से ख़रीद कर घर लाने के लिये गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, बा'ज़ लोग पैसे बचाने के लिये बड़े जानवरों को भी छोटी गाड़ियों में ज़बर दस्ती घुसा कर, लिटा कर और रस्सियों से बांध कर लाते हैं जिस की वज्ह से जानवरों को बहुत तक्लीफ़ होती है और बसा अवक़ात वोह शदीद ज़ख़्मी भी हो जाते हैं इस बारे में कुछ मदनी फूल इर्शाद फ़रमा दीजिये।

जवाब : जिस त़रह़ इन्सान को तक्लीफ़ देह चीज़ों से अज़िय्यत पहुंचती है और वोह अपने आप को उन से बचाने की कोशिश करता है ज़ाहिर है इसी त़रह़ जानवरों को भी तक्लीफ़ देह चीज़ों से अज़िय्यत होती है। चन्द पैसों की ख़ातिर इस त़रह़ बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में ज़बर दस्ती घुसा कर, लिटा कर और रस्सियों से बांध कर लाना बिला वज्ह जानवरों को ईज़ा देना और उन पर ज़ुल्म करना है। जानवर पर ज़ुल्म करना मुसल्मान पर ज़ुल्म करने से भी सख़्त तर है क्यूं कि मुसल्मान तो मुक़ाबला करेगा, अ़दालत में जा कर केस कर देगा इस के इ़लावा और बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन येह बे ज़बान जानवर किस के आगे फ़रियाद करेगा। याद रखिये ! मज़्लूम जानवर बल्कि मज़्लूम काफ़िर की भी बद दुआ़ क़बूल होती है। जिन्हों ने ऐसा किया है वोह तौबा करें और आयिन्दा हरगिज़ इस त़रह़ के अन्दाज़ इख़्तियार न करें।

कौन से दिन कुरबानी करना अफ़्ज़ल है ?

सुवाल : ईद के कौन से दिन कुरबानी करना अफ़्ज़ल है ?

जवाब : ईद के तीनों दिन कुरबानी करना जाइज़ है अलबत्ता पहले दिन कुरबानी करना अफ़्ज़ल है। ईद के पहले दिन उ़मूमन क़स्साब ज़ियादा पैसे लेते हैं तो बा'ज़ लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिये अफ़्ज़ल अ़मल को छोड़ कर ईद के दूसरे या तीसरे दिन कुरबानी करते हैं। यूं चन्द पैसों की ख़ातिर इतना महंगा जानवर लाने के बा वुजूद पहले दिन कुरबानी करने की फ़ज़ीलत पाने से ख़ुद को महरूम कर देते हैं। पहले दिन क़स्साब का ज़ियादा रक़म लेना अगर्चे नफ़्स पर गिरां गुज़रता है मगर हमें अपना यूं ज़ेह्न बनाना चाहिये कि जो नेक अ़मल नफ़्स पर जितना ज़ियादा गिरां

गुज़रता है उस का सवाब भी उतना ही ज़ियादा अ़ता किया जाता है।

(सफ़रे ह़ज की एह़तियातें, स. 24)

याद रखिये ! ईदुल अज़्ह़ा के दिन जानवर ज़ब्ह़ करने से अफ़्ज़ल कोई अ़मल नहीं है। लिहाज़ा कोई मजबूरी न हो तो पहले दिन ही क़ुरबानी की जाए अगर्चे कुछ रक़म ज़ियादा ख़र्च होगी लेकिन इस को नुक़्सान न समझा जाए बल्कि इस के इ़वज़ आख़िरत में मिलने वाले अ़ज़ीम सवाब पर नज़र रखी जाए। अगर किसी के घर में दूसरे या तीसरे दिन दा'वत होती है इस वज्ह से वोह पहले दिन क़ुरबानी नहीं करता तो उसे चाहिये कि पहले दिन क़ुरबानी कर के उस का गोश्त फ़्रीज में रख दे और अगले दिन दा'वत में इस्ति'माल कर ले क्यूं कि एक दो दिन में गोश्त के ज़ाएक़े में कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ता। फ़क़त लज़्ज़ते नफ़्स के लिये पहले दिन क़ुरबानी के अ़ज़ीम सवाब से मह़रूम हो जाना दानिश मन्दी नहीं बल्कि मह़रूमी है। जिस त़रह़ ताजिर माल के नफ़्अ़ पर नज़र रखता है इसी त़रह़ हर मुसल्मान को चाहिये कि वोह माल के नफ़्अ़ से ज़ियादा नेकियों के नफ़्अ़ पर नज़र रखे और इस के लिये कोशिश भी करता रहे।

शिकन्जे में जकड़ कर जानवर ज़ब्ह़ करना कैसा ?

सुवाल : यूरोपियन (European) ममालिक में छोटे जानवर को ज़ब्ह़ करने के लिये मख़्सूस शिकन्जे में जकड़ा जाता है ताकि रस्सियों से बांधने और पकड़ने की मशक़्क़त से बचा जा सके, ऐसा करना कैसा है ?

जवाब : बकरे और दुम्बे वग़ैरा को मख़्सूस शिकन्जे में जकड़ कर ज़ब्ह़ करने में और तो कोई ह़रज नहीं लेकिन एक सुन्नत तर्क हो जाती है वोह येह कि ज़ब्ह़ करने वाला अपना दायां (या'नी सीधा) पाउं जानवर की गरदन के

दाएं (या'नी सीधे) हिस्से (या'नी गरदन के क़रीब पहलू) पर रखे और ज़ब्ह़ करे। अलबत्ता इस शिकन्जे के ज़रीए़ जकड़ने में एक फ़ाएदा भी है कि जानवर कई ग़ैर ज़रूरी तकालीफ़ से बच जाता है मसलन बा'ज़ लोग बकरे को उठा कर पटख़्ते हैं या पथरीली ज़मीन पर गिराते हैं जो यक़ीनन बिला वज्ह की ईज़ा है लेकिन इस मख़्सूस शिकन्जे के ज़रीए़ लिटाने में येह दोनों तकालीफ़ नहीं होंगी। नीज़ इस शिकन्जे की हैअत ऐसी है कि जानवर को लिटा कर पेट से जकड़ लिया जाता है और पाउं आज़ाद होते हैं तो येह त़िब्बी लिहाज़ से भी अच्छा है इस लिये कि जानवर जितना ज़ियादा हाथ पाउं मारेगा उतना ही मुज़िर्रे सिह़्ह़त ख़ून बह जाएगा। बहर ह़ाल शिकन्जे में कस कर ज़ब्ह़ करें या रस्सियों से बांध कर, जानवर को बेजा तक्लीफ़ देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। जो लोग बकरे की गरदन चटख़ा देते हैं या बड़े जानवर की छुरा घोंप कर दिल की रगें काट देते हैं या ज़ब्ह़ करते हुए हड्डी पर छुरी मारते हैं तो उन्हें इस से बचना ज़रूरी है। ख़ुदा ना ख़्वास्ता मरने के बा'द येही जानवर मुसल्लत़ कर दिया गया तो फिर क्या बनेगा ?

कुरबानी के जानवर के बाल और ऊन वग़ैरा काटना कैसा ?

सुवाल : कुरबानी के बा'ज़ जानवरों के जिस्म पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, उन्हें ज़ब्ह़ करते वक़्त अगर दुश्वारी हो रही हो तो क्या उन बालों को काट सकते हैं ? अगर किसी ने वोह बाल काट दिये तो उन बालों का क्या हुक्म है ?

जवाब : कुरबानी के जानवर के बाल और ऊन वग़ैरा काटना मक्रूह है। अगर किसी ने बाल या ऊन वग़ैरा काट दी तो इन चीज़ों को न तो वोह अपने इस्ति'माल में ला सकता है और न ही किसी ग़नी को दे सकता है बल्कि

उन बालों और ऊन वग़ैरा को किसी शरई फ़क़ीर पर सदक़ा करना होगा। रही बात ज़ब्ह के वक़्त दुश्वारी पेश आने की तो इस के लिये पूरे बदन के बाल काटना तो दूर की बात गले के बाल काटने की भी ज़रूरत नहीं बल्कि गले पर पानी वग़ैरा डाल कर जगह बनाई जा सकती है।

बे वुज़ू या बे नमाज़ी का ज़बीहा

सुवाल : क़स्साब उमूमन बे वुज़ू, बे नमाज़ी और दाढ़ी मुन्डे होते हैं तो क्या उन से जानवर ज़ब्ह करवाना दुरुस्त है ? नीज़ जानवर को ज़ब्ह करने के चन्द मदनी फूल भी बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : जानवर ज़ब्ह करने के लिये बा वुज़ू, नमाज़ी और दाढ़ी वाला होना शर्त नहीं लिहाज़ा अगर दाढ़ी मुन्डे, बे वुज़ू और बे नमाज़ी शख़्स ने भी जानवर ज़ब्ह किया तब भी जानवर ह़लाल हो जाएगा। ☆ ज़ाबेह़ (या'नी ज़ब्ह करने वाले) का मर्द होना भी शर्त नहीं, औरत या समझदार बच्चा भी ज़ब्ह कर सकते हैं अलबत्ता जो भी ज़ब्ह करे उसे ज़ब्ह के वक़्त **अल्लाह** का नाम लेना ज़रूरी है। (درمختار مع ردالمحتار، 9/496 ماخوذا) ☆ अगर किसी ने जान बूझ कर **अल्लाह** का नाम छोड़ दिया मसलन दो आदमी मिल कर ज़ब्ह कर रहे थे, एक ने येह सोच कर **अल्लाह** का नाम न लिया कि दूसरे ने कह दिया है मेरा कहना ज़रूरी नहीं तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। (درمختار مع ردالمحتار، 9/499) ☆ ज़ब्ह के वक़्त "بِسْمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکْبَر" के अल्फ़ाज़ कहना बेहतर है, शर्त नहीं लिहाज़ा अगर किसी ने फ़क़त लफ़्ज़ "**अल्लाह**" कह कर छुरी चला दी तब भी जानवर ह़लाल हो जाएगा। (فتاوی ہندیہ، 5/285) ☆ अगर भूलने के सबब **अल्लाह** का नाम न लिया तब भी जानवर ह़लाल हो जाएगा। (ہدایہ، 2/347)

इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी की एहतियातें

सुवाल : इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी करने वालों पर क्या क्या शरई ज़िम्मेदारियां बनती हैं ?

जवाब : इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी के मसाइल बहुत पेचीदा और मुश्किल हैं लिहाज़ा इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी करने वालों के लिये लाज़िम है कि वोह इस से मुतअल्लिक़ा ज़रूरी मसाइल सीखें या फिर उलमाए किराम की मुकम्मल रहनुमाई में ही कुरबानी करें। बद क़िस्मती से लोगों ने इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी को एक कारोबार बना लिया है, बा'ज़ इदारे भी उलमाए किराम की राहनुमाई लिये बिग़ैर इज्तिमाई कुरबानी करते हैं और खुल्लम खुल्ला ग़लतियां कर के लोगों की कुरबानियां ज़ाएअ कर बैठते होंगे। हर एक को अज़ाबे आख़िरत से डरना चाहिये और शरई तक़ाज़े पूरे होने की सूरत में ही इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी में हाथ डालना चाहिये। आशिक़ाने रसूल की मदनी तहरीक दा'वते इस्लामी में इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत की मुकम्मल राहनुमाई में ही होती है। मुल्क और बैरूने मुल्क इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी का इरादा रखने वाले ज़िम्मेदारान की पहले तरबियत होती है। फिर तरबियती निशस्त में शिर्कत करने वालों का इम्तिहान होता है और जो इम्तिहान में काम्याबी हासिल करते हैं तो उन्हें ही मदनी मर्कज़ की तरफ़ से इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी की इजाज़त मिलती है। नीज़ दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत की तरफ़ से "इज्तिमाई (हिस्सों वाली) कुरबानी के मदनी फूल" के नाम से एक रिसाला भी शाएअ किया जा चुका है।

उधार ले कर कुरबानी करना कैसा ?

सुवाल : अगर किसी के पास पैसे न हों तो क्या वोह उधार ले कर कुरबानी कर सकता है ?

जवाब : अगर कुरबानी वाजिब है और पैसे छुट्टे नहीं हैं कारोबार में लगे हुए हैं या कोई माल ख़रीदा हुवा है जिसे बेचना नहीं चाहते तो अब अगर किसी से पैसे उधार ले कर कुरबानी कर ली तो ह़रज नहीं है। अलबत्ता अगर कुरबानी वाजिब नहीं है तो ज़ाहिर है उधार ले कर कुरबानी करना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर कुरबानी की तो सवाब मिलेगा मगर ऐसा करना बड़ा रिस्क है कि फिर क़र्ज़ा उतरेगा नहीं और यूं लड़ाई झगड़ों के मसाइल भी हो सकते हैं लिहाज़ा मेरा मश्वरा येह है कि अगर कुरबानी वाजिब न हो तो सिर्फ़ कुरबानी करने के लिये क़र्ज़ा न लिया जाए।

मुह़र्रमुल ह़राम में कुरबानी का गोश्त खा सकते हैं ?

सुवाल : क्या कुरबानी का गोश्त ईदुल अज़्ह़ा गुज़रने के बा'द भी खाया जा सकता है ? नीज़ बा'ज़ लोग कहते हैं कि मुह़र्रमुल ह़राम का चांद नज़र आ जाए तो घर में गोश्त नहीं पकाना चाहिये और कुरबानी का गोश्त भी यकुम मुह़र्रमुल ह़राम से पहले पहले ख़त्म कर लेना चाहिये। आप इस ह़वाले से हमारी राहनुमाई फ़रमा दीजिये।

जवाब : कुरबानी का गोश्त अगर कोई साल भर तक खाना चाहे तो खा सकता है येह जाइज़ है। मुह़र्रमुल ह़राम में भी कुरबानी का गोश्त और इस के इ़लावा जानवर ज़ब्ह़ कर के उस का गोश्त भी खाया जा सकता है।

कुरबानी के जानवर के गोश्त के तीन ह़िस्से करना

सुवाल : कुरबानी के जानवर के गोश्त के तीन ह़िस्से किये जाते हैं, क्या शरीअ़त में इस की कोई दलील है ?

जवाब : बहारे शरीअ़त के पन्दरहवें हिस्से में कुरबानी के मसाइल लिखे हुए हैं, इस में कुरबानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से करने को मुस्तह़ब लिखा है मसलन बकरा है तो उस के तीन हिस्से कर लिये जाएं, एक हिस्सा कुरबानी करने वाला अपने इस्ति'माल में रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तक़्सीम कर दे और एक हिस्सा ग़रीबों में बांट दे तो येह मुस्तह़ब है। (बहारे शरीअ़त, 3/344, हिस्सा : 15, فتاویٰ ہندیہ، 5/300) अगर पूरा बकरा ख़ुद रख लिया या पूरा बांट दिया या पूरा बकरा एक साथ किसी को उठा कर दे दिया तो येह सब सूरतें भी जाइज़ हैं।

कुरबानी किस पर वाजिब है ?

सुवाल : घर में दो कमाने वाले हैं जो तक़्रीबन 20 हज़ार तक कमाते हैं क्या उन पर कुरबानी वाजिब होगी ?

जवाब : 20, 30 हज़ार कमाने का मस्अला नहीं है इस त़रह़ तो लोग एक लाख भी कमाते होंगे और पूरी की पूरी रक़म ख़र्च हो जाती होगी। कोई 10 हज़ार में गुज़ारा कर लेता होगा और किसी का दस लाख में भी गुज़ारा मुश्किल से होता होगा, किसी के पास आज का खाना होगा तो कल का नहीं होगा, कल का होगा तो परसों का नहीं होगा लिहाज़ा कितना कमाता है येह बुन्याद नहीं है बल्कि बुन्याद येह है कि 10 ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम की सुब्ह़े सादिक़ (से ले कर 12 ज़ुल ह़िज्जतिल ह़राम के ग़ुरूबे आफ़्ताब तक) के वक़्त में जो ग़नी हो या'नी ज़रूरिय्यात के इलावा उस के पास निसाब[1] के

[1]..... कुरबानी का निसाब येह है कि साढ़े सात तोला सोना या साढ़े 52 तोला चांदी हो या साढ़े 52 तोला चांदी के बराबर रक़म हो या बेचने का इतना सामान हो जो साढ़े 52 तोला चांदी की रक़म को पहुंच जाए या घर में ज़रूरत के इलावा इतना सामान रखा है जो साढ़े 52 तोला चांदी की रक़म को पहुंच जाता है या येह सब मिला कर साढ़े 52 तोला चांदी की रक़म को पहुंच जाएं तो इस सूरत में कुरबानी वाजिब हो जाएगी।

(فتاویٰ ہندیہ، 5/292, बहारे शरीअ़त, 3/333, हिस्सा : 15)

बराबर रक़म वग़ैरा मौजूद हो और क़र्ज़ में घिरा हुवा भी न हो तो क़ुरबानी वाजिब होगी ।[1]

क़ुरबानी के जानवर की क़ीमत बताना मुनासिब है या ख़ामोशी इख़्तियार करना ?

सुवाल : जब हम क़ुरबानी के लिये कोई जानवर मसलन भैंस या बकरा ख़रीद कर लाते हैं तो अक्सर लोग बार बार येह सुवाल पूछते हैं कि कितने का लाए हो ? ऐसी सूरत में क़ीमत बताना मुनासिब है या ख़ामोशी इख़्तियार करना क्यूं कि क़ीमत बताने में अपनी बड़ाई का पहलू भी निकलता है कि मैं तो पछत्तर हज़ार (75000) का लाया या मैं तो दो लाख (200000) का लाया वग़ैरा ?

जवाब : ज़ाहिर है कि अगर कोई जानवर की क़ीमत पूछेगा और आप उसे कहेंगे कि मैं नहीं बताता तो उस का दिल टूटेगा और उसे बुरा लगेगा इस लिये कोई पूछे तो क़ीमत बता दीजिये । आप को भी तो जानवर ले कर घूमने का शौक़ है, जब आप अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, जानवर को ला कर अपने दरवाज़े के आगे बांध रहे हैं, उसे फूलों के गजरे और हार डाल रहे हैं और उसे सजा कर रख रहे हैं तो जब इतनी नुमाइश आप ख़ुद करवा ही रहे हैं तो फिर लोग पूछेंगे ही कि कितने का लिया है ? अगर आप जानवर की नुमाइश न करें और उसे छुपा कर रखें तो इतने लोगों को पता नहीं चलेगा

1..... येह ज़रूर नहीं कि दसवीं ही को क़ुरबानी कर डाले, इस के लिये गुन्जाइश है कि पूरे वक़्त में जब चाहे करे लिहाज़ा अगर इब्तिदाए वक़्त में (10 ज़ुल हिज्जा की सुब्ह) इस का अह्ल न था वुजूब के शराइत़ नहीं पाए जाते थे और आख़िर वक़्त में (या'नी 12 ज़ुल हिज्जा को ग़ुरूबे आफ़्ताब से पहले) अह्ल हो गया या'नी वुजूब के शराइत़ पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई और अगर इब्तिदाए वक़्त में वाजिब थी और अभी (क़ुरबानी) की नहीं और आख़िर वक़्त में शराइत़ जाते रहे तो (क़ुरबानी) वाजिब न रही । (बहारे शरीअ़त, 3/334, हिस्सा : 15)

और फिर कम लोग पूछेंगे या फिर येह पूछेंगे कि आप ने कुरबानी के लिये जानवर लिया है या नहीं ? अगर आप हां बोलेंगे तो पूछेंगे : कितने में आया ? और अगर बोलेंगे : अभी तक नहीं लिया, तो पूछेंगे : कितने तक लेने का इरादा है ? बहर हाल अवाम ने पूछना ही है। अब येह पूछना बा'ज़ अवक़ात फ़ुज़ूल होता है और बा'ज़ अवक़ात फ़ुज़ूल नहीं भी होता जैसा कि कोई इस लिये पूछ रहा है ताकि उसे येह पता चल जाए कि आज कल जानवर का क्या भाव चल रहा है और इस त़रह़ का जानवर कितने का मिलता है ? क्यूं कि उस ने भी जानवर लेने के लिये मन्डी जाना है तो येह अच्छी निय्यत से पूछना है और अगर वैसे ही पूछता है जैसा कि लोग तजस्सुस के त़ौर पर पूछते हैं तो येह फ़ुज़ूल पूछना हुवा और फ़ुज़ूल बातों से बचना अच्छा है लेकिन येह पूछना अब भी गुनाह नहीं है लिहाज़ा अगर किसी ने आप से जानवर का भाव पूछ लिया तो आप उस का दिल ख़ुश करने की निय्यत से उसे सह़ीह़ सह़ीह़ बता दीजिये उस का दिल ख़ुश हो जाएगा, नहीं बताएंगे तो उस का दिल टूटेगा अलबत्ता पूछने वालों को भी चाहिये कि वोह बिला ज़रूरत न पूछें।

किस जानवर की कुरबानी बाइसे फ़ज़ीलत है ?

सुवाल : मैं ने दो दुम्बे पाले थे और मेरी निय्यत येह थी कि मैं इन को बेच कर बड़ा जानवर ख़रीदूंगा लेकिन अब मेरा दिल येह कर रहा है कि मैं इन को ही ज़ब्ह़ कर दूं आप मेरी राहनुमाई कीजिये कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ मेरे लिये बेहतर है ? (एक इस्लामी भाई का सुवाल)

जवाब : कुरबानी के जानवर की निय्यत के (कुछ) मसाइल (या'नी शरई अह़काम) हैं, ग़रीब के लिये अलग मस्अला है और मालदार के लिये अलग। अगर उन जानवरों की कुरबानी की निय्यत नहीं की थी तो उन्हें

बेचने में ह़रज नहीं, आप की मरज़ी है उन को बेच कर बड़ा जानवर लें या न लें। हां ! इस में बेहतर क्या है तो इस ह़वाले से अ़र्ज़ है कि बन्दा जो जानवर ख़ुद पालता है उस से उन्सिय्यत होती है बल्कि बा'ज़ अवक़ात जानवर से औलाद की त़रह़ प्यार हो जाता है, उसे ज़ब्ह़ करना नफ़्स पर गिरां गुज़रता है और दिल पर एक सदमे की कैफ़िय्यत होती है यूं उसी पालतू जानवर को ज़ब्ह़ करने में ज़ियादा फ़ज़ीलत नज़र आ रही है। अगर उसे बेच दिया जाएगा तो येह कैफ़िय्यत नहीं होगी कि नज़रों से ओझल हो गया अब कटे या कुछ भी हो इतना मह़सूस नहीं होगा। नीज़ उस को बेच कर दूसरा जानवर लिया जाए तो उस से ज़ियादा उन्सिय्यत और प्यार नहीं होगा और उस को काटने से नफ़्स पर इतना बोझ भी नहीं होगा लिहाज़ा जो जानवर ख़ुद पाला है उसी को ज़ब्ह़ करे।

फ़ौत शुदा वालिदैन के नाम की क़ुरबानी करने का हुक्म

सुवाल : अगर वालिदैन का इन्तिक़ाल हो चुका हो और उन्हों ने ज़िन्दगी में कभी भी क़ुरबानी न की हो तो क्या औलाद उन के नाम की क़ुरबानी कर सकती है ?

जवाब : जी हां ! ईसाले सवाब के लिये क़ुरबानी हो सकती है इस में कोई ह़रज नहीं नीज़ वालिदैन की त़रफ़ से क़ुरबानी करनी चाहिये येह अच्छी बात है। वालिदैन ज़िन्दगी में क़ुरबानी करते थे या नहीं या 100, 100 बकरे ज़िन्दगी में ज़ब्ह़ करते थे तब भी ईसाले सवाब के लिये क़ुरबानी करने में ह़रज नहीं। नीज़ ज़िन्दा के ईसाले सवाब के लिये भी क़ुरबानी हो सकती है।

क्या क़ुरबानी के जानवर को नहलाया जा सकता है ?

सुवाल : क्या क़ुरबानी के जानवर को नहलाया जा सकता है ?

जवाब : जी हां ! क़ुरबानी के जानवर को नहलाया जा सकता है जब कि ज़रूरत हो।

क्या कुरबानी की भी क़ज़ा होती है ?

सुवाल : एक साल की कुरबानी रह जाए तो क्या येह कुरबानी दूसरे साल कर सकते हैं ? जैसे इस मरतबा मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कुरबानी मेरे लिये मुआ़फ़ है या करना होगी ?

जवाब : कुरबानी के दिन गुज़र गए और (वाजिब होने की सूरत में) कुरबानी नहीं की न जानवर और उस की क़ीमत सदक़ा की यहां तक कि दूसरी बक़रह ईद आ गई और अब येह चाहता है कि गुज़श्ता साल की कुरबानी की क़ज़ा इस साल कर ले तो येह नहीं हो सकता बल्कि अब भी वोही हुक्म है कि जानवर या उस की क़ीमत सदक़ा करे। (فتاویٰ ہندیہ، 5/296-297)

कुरबानी वाजिब हो मगर रक़म न हो तो क्या करे ?

सुवाल : अगर कुरबानी की शराइत़ पाई जाएं लेकिन पैसे न हों या कुरबानी वाजिब ही न हो तो क्या फिर भी कुरबानी का हुक्म होगा ? (रुक्ने शूरा का सुवाल)

जवाब : अगर कुरबानी वाजिब हो मगर पैसे न हों तो उधार ले कर भी कुरबानी कर सकता है या फिर कोई ऐसी चीज़ बेच कर रक़म ह़ासिल कर ले जिस से जानवर ख़रीद सके। याद रखिये ! कुरबानी के लिये ज़रूरी नहीं कि ढाई लाख वाला जानवर ही लाया जाए बल्कि हिस्सा भी डाला जा सकता है कि वोह ज़ियादा महंगा नहीं होता। बहर ह़ाल कुरबानी वाजिब हो तो करना ज़रूरी है अगर जान बूझ कर न की तो बन्दा गुनाहगार होगा। हां ! अगर कुरबानी वाजिब ही नहीं थी और इस के वुजूब की शराइत़ भी नहीं पाई गई थीं इस वज्ह से कुरबानी न की तो येह कोई गुनाह का काम नहीं है क्यूं कि कुरबानी वाजिब ही नहीं थी।

कुरबानी के जानवर के गले में घन्टी और पाउं में घुंगरू बांधने का हुक्म

सुवाल : कुरबानी के जानवर के गले में घन्टी और पाउं में घुंगरू बांधना कैसा है ?

जवाब : क़ुरबानी का जानवर हो या बिग़ैर क़ुरबानी का, उस के गले में घन्टी और पाउं में घुंगरू बांधना अगर बिग़ैर किसी ज़रूरत के हो तो मक्रूहे तन्ज़ीही या'नी ना पसन्दीदा है।

जानवर के गले में घन्टी या पाउं में घुंगरू बांधने से मुतअ़ल्लिक़ दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा और तह़क़ीक़ी फ़तवा येह है कि "जानवरों की गरदन में घन्टी या पाउं में घुंगरू बांधने से अगर कोई मन्फ़अ़त या'नी फ़ाएदा है तो दारुल इस्लाम में बिला कराहत जाइज़ और अगर कोई मन्फ़अ़त नहीं तो मक्रूहे तन्ज़ीही या'नी ना पसन्दीदा है मगर जाइज़ अब भी है।" याद रहे! क़ुरबानियों की रौनक़ें दारुल इस्लाम में होती हैं तो येह मस्अला भी दारुल इस्लाम के मुतअ़ल्लिक़ है जब कि दारुल ह़र्ब की अलग सूरतें हैं। बे शुमार ममालिक दारुल इस्लाम हैं अगर्चे उन में भारी ता'दाद ग़ैर मुस्लिमों की होती है मगर वोह दारुल इस्लाम की ता'रीफ़ में आते हैं। बहर ह़ाल हमारे यहां जानवरों के गले में जो घन्टी बांधी जाती है वोह जाइज़ है और मन्फ़अ़त की निय्यत न होने की सूरत में मक्रूहे तन्ज़ीही और अगर मन्फ़अ़त की निय्यत है तो मक्रूहे तन्ज़ीही भी नहीं है मसलन इस निय्यत से जानवर के गले में घन्टी बांधी कि सफ़र में घन्टी की आवाज़ जानवर की चुस्ती बढ़ाएगी और वोह जल्दी भागेगा तो इस फ़ाएदे को ह़ासिल करने के लिये घन्टी बांधना मक्रूह नहीं है। इसी त़रह़ अगर इस लिये जानवरों के गले में घन्टी बांधी कि भेड़िया वग़ैरा जो जानवर ह़म्ला करने आएगा वोह घन्टी की आवाज़ से भागेगा और यूं जानवरों की ह़िफ़ाज़त होगी तो येह भी एक दुरुस्त निय्यत है। यूं ही अगर इस लिये घन्टी बांधी कि येह नींद दूर करती है और इस से सफ़र में जानवर की नींद भी

दूर होगी और जो उस पर सुवार है उस की भी नींद दूर होगी तो इस निय्यत से भी घन्टी बांधी जा सकती है।

जानवरों के गले में घन्टी और पाउं में घुंगरू बांधने के फ़वाइद

जानवरों के गले में घन्टी या पाउं में घुंगरू बांध कर दीगर फ़वाइद भी ह़ासिल किये जा सकते हैं मसलन जानवर गुम हो गया या रस्सी तोड़ कर भागा तो पता चल जाएगा कि जानवर भागा है और कहां पहुंचा है ? या फिर चोरों का ख़ौफ़ है कि जानवर को चोर ले जाएगा तो जानवर के चलने से घन्टी की आवाज़ आएगी जिस के बाइ़स सोए हुए अफ़राद जाग कर चोर को पकड़ लेंगे और अपने जानवर को बचा सकेंगे तो इन सब फ़वाइद को पाने के लिये जानवर के गले में घन्टी और पाउं में घुंगरू बांधना जाइज़ है।

कम उ़म्र फ़र्बा जानवर की कुरबानी का हुक्म

सुवाल : अगर बड़ा जानवर डेढ़ साल का हो मगर दूर से देखने में दो साल का लगे तो क्या उस की कुरबानी हो जाएगी ?

जवाब : बड़े जानवर (भैंस वग़ैरा) की उ़म्र दो साल होना ज़रूरी है अगर दो साल में एक दिन भी कम होगा तो कुरबानी नहीं होगी। अलबत्ता दुम्बा दुम्बी या भेड़ जिस को अंग्रेज़ी में Sheep बोलते हैं येह अगर छे महीने का बच्चा है और दूर से देखने में साल भर का मा'लूम होता है तो उस की कुरबानी जाइज़ है, मगर बकरे और बकरी में ऐसा नहीं होगा येह रिआ़यत सिर्फ़ Sheep में है और येह भी सिर्फ़ उस वक़्त है जब छे, सात या आठ माह का बच्चा इतना फ़र्बा और जानदार हो कि साल भर का लगे वरना उस की भी कुरबानी नहीं होगी या'नी अब चाहे छे, सात या आठ माह का हो मगर कमज़ोर हो और बच्चा ही लगता हो उस की कुरबानी नहीं होगी अलबत्ता पूरे साल भर का होने के बा'द भी बच्चा लगता हो तो कोई ह़रज

नहीं कुरबानी हो जाएगी बशर्ते कि उस में कोई और नक़्स न हो।

(در مختار، کتاب الاضحیہ، 9/533 ماخوذا)

जितने अफ़राद पर कुरबानी वाजिब हो उन सब को कुरबानी करना होगी

सुवाल : घर में छे अफ़राद हैं जिन पर कुरबानी वाजिब है अगर उन सब की त़रफ़ से दो या तीन कुरबानियां कर दी जाएं तो क्या काफ़ी होंगी या छे कुरबानियां ही करना होंगी ?

जवाब : छे कुरबानियां करना होंगी। बा'ज़ लोग पूरे घर की त़रफ़ से सिर्फ़ एक बकरा कुरबान कर देते हैं इस त़रह़ किसी की भी कुरबानी नहीं होती। एक बकरे में एक से ज़ियादा हिस्से नहीं हो सकते। ऐसे मौक़अ़ पर बड़ा जानवर ले लिया जाए तो वोह सात अफ़राद की त़रफ़ से कुरबान किया जा सकता है।

कुरबानी हुक्मे खुदावन्दी पर अ़मल के लिये की जाती है.....1
कुरबानी किस पर वाजिब है ?.....2
क्या मुसाफ़िर पर कुरबानी वाजिब है ?...2
कुरबानी के जानवर की उ़म्र का ए'तिबार है या दांत का ?.....3
जानवर दो दांत का है या ज़ियादा का, येह पहचान कैसे हो ?.....5
बड़े जानवरों को छोटी गाड़ियों में घुसा कर लाना कैसा ?.....5
कौन से दिन कुरबानी करना अफ़्ज़ल है ?.6
शिकन्जे में जकड़ कर जानवर ज़ब्ह़ करना कैसा ?.....7
कुरबानी के जानवर की ऊन वग़ैरा काटना कैसा ?.....8
बे वुज़ू या बे नमाज़ी का ज़बीह़ा.....9
उधार ले कर कुरबानी करना कैसा ?.....11
मुह़र्रमुल ह़राम में कुरबानी का गोश्त खा सकते हैं ?.....11
कुरबानी के जानवर के गोश्त के तीन हिस्से करना.....11
किस जानवर की कुरबानी बाइसे फ़ज़ीलत है ?..14
फ़ौत शुदा वालिदैन के नाम की कुरबानी.....15
क्या कुरबानी के जानवर को नहलाया जा सकता है ?.....15
क्या कुरबानी की भी क़ज़ा होती है ?.....16
कुरबानी वाजिब हो मगर रक़म न हो तो क्या करे ?.....16
जानवर के गले में घन्टी वग़ैरा बांधना.....16
कम उ़म्र फ़र्बा जानवर की कुरबानी का हुक्म...18
जितने अफ़राद पर कुरबानी वाजिब हो उन सब को कुरबानी करना होगी.....19

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

फ़रमाने मुस्तफ़ा صلی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلم

जिस शख़्स के पास जानवर हो और वोह उसे ज़ब्ह करने का इरादा रखता हो तो ऐसा शख़्स **ज़िल हिज्जा** का चांद नज़र आने के बा'द अपने बाल और नाख़ुन न काटे जब तक क़ुरबानी न कर ले। (مسلم، ص841، حدیث:5121)

आ'ला हज़रत رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते हैं : येह हुक्म इस्तिहबाबी है, करे तो बेहतर है न करे तो मुज़ायक़ा नहीं, अगर किसी शख़्स ने 31 दिन से किसी उ़ज़्र के सबब ख़्वाह बिला उ़ज़्र नाख़ुन न तराशे हों कि **ज़िल हिज्जा** का चांद हो गया तो वोह अगर्चे क़ुरबानी का इरादा रखता हो इस **मुस्तहब** पर अ़मल नहीं कर सकता क्यूं कि अब दसवीं तक रखेगा तो नाख़ुन तरश्वाए हुए इक्तालीसवां दिन हो जाएगा और चालीस दिन से ज़ियादा न बनवाना गुनाह है। फ़े'ले मुस्तहब के लिये गुनाह नहीं कर सकता।

(फ़तावा रज़विय्या, 20/353, 354 मुलख़्ख़सन)

978-969-722-049-6
01082195

فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی کراچی
UAN +92 21 111 25 26 92 0313-1139278
www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net
feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net